भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3815

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गति शक्ति का कार्यान्वयन

3815. सुश्री सयानी घोषः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम गति शक्ति की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत किया गया कुल व्यय मंत्रालय-वार और वर्ष-वार कितना है;

(ख) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत एकीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संभार तंत्र लागत, परियोजना पूर्ण होने की समय-सीमा और अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुगम बनाने में पीएम गति शक्ति के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पीएम गति शक्ति के माध्यम से पूरी की गई या गति प्रदान की गई परियोजनाएं कौन सी हैं और इसके माध्यम से कार्यान्वयन समय और लागत में क्षेत्र-वार कितनी कमी प्राप्त की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने व्यवसाय सुगमता, औद्योगिक विकास और बहु-मॉडल कनेक्टिविटी पर पीएम गति शक्ति के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अवसंरचना क्षेत्रों में पीएम गति शक्ति के और विस्तार के लिए भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी), जिसे अक्टूबर, 2021 में शुरू किया गया था, अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत आयोजना और समन्वित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एक साथ लाने का एक

परिवर्तनकारी "समग्र सरकारी" दृष्टिकोण है। पीएमजीएस एनएमपी का उद्देश्य अवसंरचना विकास की निगरानी, योजना और अनुकूलन के लिए भू-स्थानिक डेटा, सैटेलाइट इमैजरी और एपीआई एकीकरण का उपयोग करके डेटा आधारित निर्णय लेने में मंत्रालयों/राज्यों को सुविधा प्रदान करना है। पीएमजीएस एनएमपी विभिन्न प्रकार के परिवहन के माध्यम से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही हेतु निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एकीकृत, समकालिक और समन्वित तरीके से सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं सहित उनकी संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं की आयोजना में मंत्रालयों/राज्यों को सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी और यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी।

पीएम गतिशक्ति एक एकीकृत आयोजना फ्रेमवर्क प्रदान करता है; परियोजनाओं का अनुमोदन और कार्यान्वयन संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उनकी योजनाओं, स्कीमों, प्रक्रियाओं और बजटीय/निधीयन प्रावधानों के तहत किया जाता है। इसलिए, पीएम गतिशक्ति पहल के तहत कोई मात्रात्मक लक्ष्य अथवा व्यय आवश्यकताएं निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ख): पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) आयोजना के चरण में एकीकृत आयोजना, मल्टीमोडलिटी, इंटर-मोडलिटी, प्रयासों के समन्वय, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, परियोजना स्थल के आसपास व्यापक विकास, डेटा आधारित निर्णय लेने आदि को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। अब तक, एनपीजी तंत्र के माध्यम से लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत की 396 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इन 396 परियोजनाओं में से 256 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है - जिनमें से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। इनका मंत्रालय वार विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): सरकार समय-समय पर विभिन्न अध्ययनों, सर्वेक्षणों आदि के जरिए अपनी पहलों/स्कीमों का आकलन करती है। इसके अलावा, इस संबंध में विश्वविद्यालयों और शोधार्थी विद्वानों द्वारा कई अध्ययन किए गए हैं। इन आकलनों के अनुसार, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, प्रगति, सागरमाला, कनेक्टिविटी अवसंरचना (एक्सप्रेसवे/राष्ट्रीय राजमार्ग/डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर और रेल ट्रैक, औद्योगिक कॉरिडोर/हब) का विकास आदि जैसी एकीकृत आयोजना पहलों ने आपस में जुड़े और प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को आकार दिया है तथा देश में लॉजिस्टिक्स दक्षता, प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाले समय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, औद्योगिक विकास में सुधार तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है। वर्ष 2025 में डीपीआईआईटी द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से लॉजिस्टिक्स लागत का आकलन किया गया है। आकलन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के जीडीपी का 7.9% होने का अनुमान है, जो विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में यह रेखांकित किया गया है कि इन उपायों ने घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास के प्रभाव पर किए गए एक अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में प्रत्येक एक रुपए के व्यय से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.2 रुपए की वृद्धि होती है।

(च): अब तक 58 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पीएमजीएस एनएमपी पर ऑनबोर्ड किया गया है, जिसमें सड़क, रेल, पत्तन और जलमार्ग, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नागर विमानन, दूरसंचार, औद्योगिक कॉरिडोर आदि जैसे सभी अवसंरचना से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति सार्वजनिक प्लेटफॉर्म (यूआरएल: ugi.pmgatishakti.gov.in) को सितंबर 2025 में शुरू किया गया है, जिसने निजी संस्थाओं और आम जनता तक पीएम गतिशक्ति डेटा एनालिटिक्स की पहुंच प्रदान की है। इस क्वेरी आधारित तंत्र के माध्यम से, सार्वजनिक और निजी संस्थाएं पीएमजीएस एनएमपी पोर्टल से विश्लेषणात्मक डेटा रिपोर्ट प्राप्त करके अपनी परियोजनाओं की योजना बनाने में सक्षम हैं। राज्यों को जिला स्तरीय आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति का उपयोग बढ़ाने के लिए

प्रोत्साहित किया गया है। लगभग 1800 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है और हितधारकों के उपयोग के लिए इस प्लेटफॉर्म पर 65 से अधिक सॉफ्टवेयर मोड्यूल्स/टूल्स तथा 100 से अधिक मोबाइल/वेब एप्लिकेशन विकसित और एकीकृत किए गए हैं। पीएम गतिशक्ति पहल का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है - अधिक डेटा लेयर्स की मैपिंग/एकीकरण, अतिरिक्त सुविधाओं का विकास और एकीकरण, आयोजना हेतु सॉफ्टवेयर मोड्यूल्स/टूल्स और विश्लेषण के लिए मोड्यूल्स/टूल्स, मोबाइल/वेब एप्लिकेशन, आदि को मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुसार इसे जारी रखा जाना है।

अनुबंध-क

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3815 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एनपीजी तंत्र के माध्यम से मूल्यांकित परियोजनाओं का मंत्रालय वार विवरण

मंत्रालय/विभाग	**परियोजनाओं की संख्या**	**अनुमोदित**	**अनुमोदन के लिए शेष**	**कार्यान्वयन के अधीन**	**अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)**
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	171	108	63	53	9,01,668
रेल मंत्रालय	162	102	60	102	5,43,315
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	31	17	14	17	2,88,614
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	4	4	0	3#	9,271
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3	2	1	2	49,759
नागर विमानन मंत्रालय	6	4	2	2	10,005
एनआईसीडीसी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	12	12	0	12	28,693
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	01	1	0	1	20,774
इलैट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	01	1	0	1	4,680
वस्त्र मंत्रालय	05	05	0	05	9,760
कुल	**396**	**256**	**140**	**198**	**18,66,539**
